

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्र.क.क. :- 428/2015)
(संस्थित दिनांक :- 03/07/15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र — मौ

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. रनवीर सिंह पुत्र तखत सिंह जाट उम्र 36 वर्ष
निवासी : विलारा, थाना—हस्तिनापुर, जिला—ग्वालियर, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 10/11/2016 को घोषित)

01. आरोपी रनवीर सिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा :- 279, 337 एवं 338 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 01/12/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे 12 बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी. 07/डी.ए./1596 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.आर./0895 में टक्कर मारकर आहत सतीश को उपहति एवं आहत भानू को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान स्वीकृत एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 01/12/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे 12 बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड़ पर, वाहन बस क्रमांक एम.पी. 07/डी.ए./1596 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सतीश एवं भानू को टक्कर मारने की मौखिक रिपोर्ट उसी दिनांक को फरियादी सतीश द्वारा थाना मौ पर की जाने पर, पुलिस थाना मौ में उक्त बस क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./1596 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 393/2014 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत भानू की मेडीकल परीक्षण में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से भा.द.सं. की धारा 338 का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। घटनास्थल से वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./1596 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी रनवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी सतीश एवं भानु के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त रनवीर सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं आहत भानू के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रनवीर ने दिनांक :- 01/12/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे 12 बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी. 07/डी.ए./1596 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.आर./0895 में टक्कर मारकर आहत सतीश को उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फरियादी सतीश यादव अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 14/10/2016 से लगभग पौने दो साल पहले की होकर शाम के पाँच-साढ़े पाँच बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह मौ से ग्राम लिलवारी जा रहा था, जैसे ही वह स्यौड़ा रोड़ पर पहुँचा, वैसे ही एक बस ने उसके दोस्त रामू की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिसको भानू चला रहा था। टक्कर लगने से उसके हाथ-पैर में एवं भानू के हाथ-पैर एवं माथे में चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में लिखाई थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी. 05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी सतीश यादव अ.सा.03 ने आरोपी रनवीर द्वारा दिनांक :- 01/12/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे 12 बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./1596 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.

आर./0895 में टक्कर मारकर उसको उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी सतीश अ.सा.03 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष प्रकृति के है।

08. आहत भानूप्रताप सिंह अ.सा.02 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी भानूप्रताप ने आरोपी द्वारा दिनांक :- 01/12/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे 12 बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./1596 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं फरियादी सतीश को टक्कर मारकर उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और ना ही इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन किया है।

09. आरोपी एवं आहत भानू के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और आहत भानूप्रताप अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रनवीर ने दिनांक : 01/12/2014 को शाम लगभग 05:00 बजे 12 बीघा मोड़ स्यौड़ा रोड़ पर, उसके आधिपत्य के वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./1596 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.आर./0895 में टक्कर मारकर आहत सतीश को उपहति कारित की।

11. अभियोजन आरोपी रनवीर के विरुद्ध धारा 279 एवं 337 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं 337 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

12. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

13. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./1596 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

